"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2012—वैशाख 21, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (1991), सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री जूसुफ मिंज, भा.प्र.से. (1997), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को केवल प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के प्रभार से मुक्त करते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री अवस्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.—श्री एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. (1979) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर प्रदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 25-04-2012 (अपरान्ह) से श्री पी. रमेश कुमार, भा.प्र.से. (WB:1986) द्वारा कार्यमुक्त होने पर प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है एवं श्री पी. रमेश कुमार, प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग दिनांक 25-04-2012 (अपरान्ह) तक अपने वर्तमान पद एवं अतिरिक्त प्रभार में यथावत् बने रहेंगे.

2. श्री प्रभात द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10-1/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 अनुसार समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है :—

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

(एक)	श्री मोहन एंटी, अधिवक्ता, फाफाडीह, रायपुर	पदेन अध्यक्ष
(दो)	क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त	पदेन सदस्य
(तीन)	मुख्य निरीक्षक (श्रमायुक्त)	पदेन सदस्य
(चार)	**शासकीय विभागों के प्रतिनिधि**	
1.	प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	पदेन सदस्य
2.	प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	पदेन सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
(पांच)	**भवन कर्मकार के प्रतिनिधि**	
1.	श्री योगेश दत्त मिश्र, ब्राम्हण पारा, राजनांदगांव	सदस्य
2.	श्री लच्छीलाई भोई, बिछिया बसना, जिला महासमुन्द	सदस्य
3.	श्री रामजी साहू, अध्यक्ष, राजमिस्त्री संघ, गिरोला अभनपुर, जिला रायपुर	सदस्य
4.	श्री तेजराम साहू, मौलीपारा तेलीबांधा, रायपुर	सदस्य
5.	सुश्री श्याम कंवर, कोरबा	महिला सदस्य

(छः) **नियोजकों के प्रतिनिधि**

1.	श्रीमती माधवी दानी, भिलाई, जिला दुर्ग	संदस्य
2.	श्री प्रमोद भट्ट, गायत्री नगर, रायपुर	सदस्य
3.	श्री तेजसिंह म्हस्के, देवैन्द्र नगर, रायपुर	सदस्य
4.	श्री सुधीर भाई पटेल, देवभोग, जिला गरियाबंद	सदस्य
5.	डॉ. निमाई विश्वास, माना, रायपुर	सदस्य

नोट :— 1. छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 (दो) में वर्णित एक सदस्य जिसका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है, का नाम केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जावेगा.

2. समिति के सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 252 अनुसार रहेगा.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-38/2009/16.—छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-38/2009/16 दिनांक 30-08-2011 द्वारा स्वीकृत कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोरबा एवं उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा राजनांदगांव के क्षेत्राधिकार में निम्न राजस्व जिले सम्मिलित होंगे :—

कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कोरबा.	कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, राजनांदगांव.
कोरबा, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सुरजपुर राजस्व जिले.	राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा राजस्व जिले.

No. 1-38/2009/16.—The Government of Chhattisgarh has sanctioned two new offices of Deputy Director Industrial Health and Safety at Korba and Rajnandgaon vide Order No. F-1-38/2009/16 dated 30-08-2011. These two new offices would have jurisdiction over following revenue districts.

Office of the Deputy Director Industrial Health and Safety, Korba.	Office of the Deputy Director Industrial Health and Safety, Rajnandgaon.
Korba, Sarguja, Korea, Balrampur, Surajpur revenue districts.	Rajnandgaon, Kawardha, Bastar, Dantewada, Kanker, Narayanpur, Bijapur, Kondagaon, Sukma revenue districts.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक एफ 10-6/2011/16.—चूंकि राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों में से पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत् श्रमिकों के लिए नवीन न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2011/16 दिनांक 04-05-2011 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था.

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इस संबंध में संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अनुसूची के स्तंभ में दर्शाये अनुसार न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण जैसे भी स्थिति हो, करता है तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार निर्धारित की गयी न्यूनतम वेतन की दरें इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी :—

अनुसूची

क्र.	श्रमिक की श्रेणी	मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल पुनरीक्षित वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अकुशल	3822.00	147.00	494.00	19.00	4316.00	166.00
2.	अर्द्धकुशल	4030.00	155.00	494.00	19.00	4524.00	174.00
3.	कुशल	4316.00	166.00	494.00	19.00	4810.00	185.00
4.	अतिकुशल	4758.00	183.00	494.00	19.00	5252.00	202.00

स्पष्टीकरण :— अधिसूचित उद्योग जिनमें पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री जिनमें 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो पर प्रभावशील होगा.

(1) 1000 श्रमिकों की गणना निम्नांकित तथ्यों पर आधारित होगा :—

(क) प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतन नियमित श्रमिक एवं ठेका श्रमिक सभी प्रकार के श्रमिकों पर प्रभावशील होगा.

(ख) एक परिसर में 01 से अधिक कारखाना पंजीकृत हो एवं प्रत्येक कारखानों के श्रमिकों की संख्या 1000 से कम हो, किन्तु पूरे परिसर में स्थित कारखानों के श्रमिकों की संख्या 1000 से अधिक होगी तो भी उक्त पुनरीक्षण प्रभावशील होगा.

(2) समय-समय पर विभाग द्वारा प्रभावशील महंगाई भत्ता उपरोक्त अधिसूचित नियोजन के मूल वेतन के अतिरिक्त देय होगा. अर्थात् अधिसूचना दिनांक को 45 अधिसूचित नियोजनों के लिए देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी उपरोक्त प्रकार के स्थापनाओं के श्रमिकों के लिए प्रभावशील होगा.

(3) उपरोक्त बढ़े हुए दर की अधिसूचना से उन श्रमिकों के वेतन प्रभावित नहीं होंगे जिन्हें उल्लेखित दर से अधिक वेतन पूर्व से ही प्रदाय किया जा रहा है. अपितु उल्लेखित मूल वेतन की वृद्धि के समानुपातिक से अधिसूचना दिनांक को अधिक वेतन पाने वाले श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि होगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्रमांक एफ 10-7/2011/16.—चूंकि राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों में से सुरक्षा गार्डों के लिए नवीन न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2011/16 दिनांक 04-05-2011 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था.

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इस संबंध में संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा 3 तथा 5 की उपधारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अनुसूची के स्तंभ में दर्शाये अनुसार न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण जैसे भी स्थिति

हो, करता है तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार निर्धारित की गयी न्यूनतम वेतन की दरें इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी :—

अनुसूची

क्र.	सुरक्षा गार्ड की श्रेणी	मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल पुनरीक्षित वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अकुशल	4056.00	156.00	494.00	19.00	4550.00	175.00
2.	अर्द्धकुशल	4316.00	166.00	494.00	19.00	4810.00	185.00
3.	कुशल	4576.00	176.00	494.00	19.00	5070.00	195.00
4.	अति कुशल	4836.00	186.00	494.00	19.00	5330.00	205.00

स्पष्टीकरण :— उपरोक्त न्यूनतम वेतन की दरें 8 घण्टे के कार्य के आधार पर नियत की गई है.

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन), नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 04-03-2010 में हितग्राहियों के लिए विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :--

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दिए जाने का अधिकार होगा.

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदन की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव के स्थान पर श्रम विभाग के समस्त मैदानी कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-6/2012/16.—[illegible] ाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Dr. Jiten Kumar, Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector throughout the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints Dr. Jiten Kumar, Labour Commissioner to be Chief Conciliator for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (सन् 1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. जितेन कुमार को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रम आयुक्त नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the State Government hereby appoints Dr. Jiten Kumar as the Labour Commissioner for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 5-6/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 01 मई, 2012 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि नियत करती है.

No. F 5-6/18/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No. 15 of 2011), the State Government, hereby, appoints the One May, 2012 as the date on which said Act shall come in to force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2838/842/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री समीर कुजूर, आत्मज-श्री जार्ज रंजीत कुजूर, (श्रेणी-अनुसूचित जनजाति, मेरिट क्र.-22) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण

करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2840/824/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, कु. रेशमा तिग्गा, आत्मजा-श्री हेरमन तिग्गा, (श्रेणी-अनुसूचित जनजाति, मेरिट क्र.-29) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2842/1096/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री देवेन्द्र साहू, आत्मज श्री राधेश्याम साहू (श्रेणी-अ.पि.वर्ग, मेरिट क्र.-18) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2844/1022/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री दुलार सिंह, आत्मज-स्व. श्री धिराजी (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-08) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2846/911/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्रीमती गंगा पटेल, पति श्री लक्ष्मी प्रसाद, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-06) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2848/996/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री हरीश चन्द्र मिश्र, आत्मज-श्री राम कल्प मिश्र, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-10) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2850/829/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री सर्व विजय अग्रवाल, आत्मज-श्री मुरारी लाल अग्रवाल, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-03) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2852/943/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री जर्नादन खरे, आत्मज-श्री गेंदराम खरे, (श्रेणी-अनुसूचित जाति, मेरिट क्र.-24) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2854/944/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री हरेन्द्र सिंह नाग, आत्मज-श्री अर्जुन सिंह नाग, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-09) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2856/880/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री ताजुद्दीन आसिफ, आत्मज-श्री नसीरूद्दीन कुरैशी, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-05) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2858/601/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री डायमण्ड कुमार गिलहरे, आत्मज-श्री सरस राम गिलहरे, (श्रेणी-अनुसूचित जाति, मेरिट क्र.-20) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2860/944/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री जनक कुमार हिड़को, आत्मज-श्री रामदयाल हिड़को, (श्रेणी-अनुसूचित जनजाति, मेरिट क्र.-23) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2862/721/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री गिर्जेश प्रताप सिंह, आत्मज-श्री रघुबीर सिंह (श्रेणी-अनुसूचित जनजाति, मेरिट क्र.-25) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2864/947/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, कु. श्रुति शुक्ला, आत्मजा-श्री शीतला प्रसाद शुक्ला (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-12) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

फा. क्र. 2866/729/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री ओम प्रकाश साहू, आत्मज-श्री शोभाराम, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-14) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्रमांक 3275/949/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए श्री दीपक कुमार सिंह, नोटरी-सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का नाम, नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3569 को दिनांक 23-04-2012 से 22-10-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2012

क्रमांक 238/1924/2011/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी सेवा कीं भर्ती के तरीके तथा क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

   (1) ये नियम छत्तीसगढ़, संचालनालय, संस्थागत वित्त (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा और उक्त पदों से सम्बद्ध सेवा की अन्य शर्तें अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी.

4. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की, किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

5. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक, ऐसे शासकीय सेवक जिनकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिये उपबंधित आरक्षण तथा अपेक्षित अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी.

6. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, प्रमुख सचिव.

अनुसूची
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	भृत्य	02	चतुर्थ श्रेणी	वेतन बैंड रु. 4750-7440 +ग्रेड वेतन रु. 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 18 से 35 वर्ष)	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	संचालक, संचालनालय, संस्थागत वित्त	

Raipur, the 1st March 2012

No. 238/1924/2011/Estt./IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules regulating the method and field of recruitment of Class-IV services on the establishment of the Directorate of Institutional Finance, Chhattisgarh, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh, Directorate of Institutional Finance (Class-IV) Services Recruitment Rules, 2012.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay, etc.**—The Classification of the service, the number of posts included in the service, and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the said posts shall be as specified in the Schedule.

4. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable.

   Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

5. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-serviceman, compassionate appointment of a member of the family of a Government servant who has died in harness, handicapped and other categories of persons in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of thses rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

   Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISHRA, Principal Secretary.

SCHEDULE
(See rule 3)

S. No.	Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Method of recruitment	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational qualification	Period of probation/ trial if any	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Peon	02	Class-IV	Pay Band Rs. 4750-7440+Grade Pay Rs. 1300	100% by direct Recruitment	18 to 30 years (Age for residents of Chhattisgarh 18 to 35 years)	8th pass	2 years	Director, Directorate of Institutional Finance	

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक 1992/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2012 कहलाएंगे।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना तथा नियम 3 के उप–नियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी;

(ग) "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है, संबंधित जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है, संबंधित जिले का कलेक्टर;

(ड.) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है, जनपद पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(छ) "राज्य स्तरीय अधिकारी" से अभिप्रेत है, नियम 5 के उप–नियम (5) के अधीन पदाभिहित राज्य स्तरीय अधिकारी।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्ति जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. **शिकायत निवारण अधिकारी का मनोनयन.**— (1) शिकायत निवारण अधिकारी खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे।

(2) ग्राम पंचायत के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, कार्यक्रम अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा तथा कार्यक्रम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी परंतु जो अपर कलेक्टर की पदश्रेणी से निम्न का न हो, को की जायेगी तथा तद्नुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक या जिला स्तरीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को की जायेगी।

4. **शिकायतों के नत्थीकरण की प्रक्रिया.**— (1) ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई शिकायत हो, संबंधित कार्यक्रम अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को शिकायत प्रस्तुत करेगा।

(2) शिकायतों की प्रस्तुति को सरल बनाने हेतु कार्यक्रम अधिकारी व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में विशिष्ट स्थान पर शिकायत पेटी संस्थापित की जायेगी।

(3) ग्राम सभा एवं सामाजिक लेखा परीक्षा फोरम (सोशल ऑडिट फोरम) भी लोक सुनवाई के लिए फोरम उपलब्ध करायेगा जिससे शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा सके।

(4) शिकायत प्राप्त होने पर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी, याचिकाकर्ता का नाम तथा पता, याचिका की प्रकृति तथा दिनांक, शिकायत रजिस्टर में इन्द्राज करने हेतु संबंधित कार्यालय को निर्देशित करेंगे।

(5) शिकायत पंजी करने वाला व्यक्ति/कर्मचारी, क्रमांक तथा दिनांक सहित लिखित पावती प्रदान करेगा जिससे वह कार्यक्रम अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में काऊंटर से अपनी शिकायत के निराकरण की स्थिति प्राप्त कर सके।

5. **शिकायत निराकरण की प्रक्रिया.**— (1) समस्त प्राप्त शिकायतों का उनकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर निराकरण किया जायेगा।

(2) संबंधित अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी का कार्यालय, की गई कार्यवाही के बारे में लिखित में याचिकाकर्ता को सूचित करेगा। एक बार शिकायत का निराकरण हो जाए, तो उसकी तारीख तथा निराकरण की प्रकृति से याचिकाकर्ता को संसूचित किया जाना चाहिए।

(3) यदि शिकायतकर्ता, की गई कार्यवाही से संतुष्ट नही होता है तो वह नियम 3 के उप–नियम (2) के अधीन संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन संसूचित आदेश प्राप्त करने के पन्द्रह दिनों के भीतर अपील कर सकेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर अपील का निराकरण करेंगे तथा की गई कार्यवाही से लिखित में शिकायतकर्ता को सूचित भी करेंगे।

(5) राज्य में शिकायतों के निराकरण की मॉनिटरिंग हेतु आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

6. **शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रिया.**— (1) राज्य स्तरीय अधिकारी, समस्त स्तरों पर शिकायत निवारण की प्रक्रिया को व्यापक प्रचार प्रसार प्रदान करेंगे।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, शिकायतों के प्रकटीकरण की स्थिति के संबंध में त्रैमासिक बैठक करेंगे तथा इसे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायेंगे।

(3) प्रत्येक माह शिकायतों के निराकरण की मॉनिटरिंग, उन क्षेत्रों के पहचान के लिए आगामी उच्च स्तर पर की जायेगी जिनमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

(4) प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों पर मासिक रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी से अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक से जिला

कार्यक्रम समन्वयक तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक से राज्य सरकार तथा राज्य सरकार से भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपेज के प्रीडिजाईन्ड फारमेट में भी ऑनलाईन प्रविष्टि की जायेगी।

Raipur, the 5th March 2012

No. 1992/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government, hereby, makes the following Rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act, namely :—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Grievance Redressal Rules, 2012.

   (2) These rules shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No.42 of 2005);

   (b) "Appellate Authority" means the Commissioner, Employment Guarantee Scheme and any other officer as referred to in sub-rule (2) of Rule 3;

   (c) "Additional District Programme Coordinator" means Chief Executive Officer of concerned Zila Panchayat;

   (d) "District Programme Coordinator" means Collector of concerned district;

   (e) "Programme Officer" means Programme Officer of Janpad Panchayat;

   (f) "Section" means a Section of the Act;

   (g) "State Level Officer" means the State Level Officer as designated under sub-rule (5) of Rule 5.

   (2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Designation of Grievance Redressal Officer.-** (1) The Grievance Redressal Officer at the Block level will be the Programme Officer and at the District level the Additional District Programme Coordinator.

(2) Any person aggrieved by an order of the Gram Panchayat may prefer an appeal to Programme Officer and an appeal against the order of the Programme Officer, will lie to the District Programme Coordinator or to any officer authorized by him/her on his behalf but not below than the rank of Upper Collector and accordingly an appeal against the order of the District Programme Coordinator or District Level Officer will lie to the Commissioner, Employment Guarantee Scheme, Office of the Development Commissioner, Department of Panchayat and Rural Development or to any officer authorized by him/her for this purpose.

4. **Procedure for filing complaints.-** (1) A person who has any grievance shall submit the complaint to the concerned Programme Officer or Additional District Programme Coordinator.

(2) There shall be complaint boxes installed at conspicuous places in the offices of the Programme Officers and Additional District Programme Coordinator to facilitate submission of complaints.

(3) The Gram Sabha and the Social Audit Forum shall also provide a forum for public hearings so that grievances may quickly be redressed.

(4) On receiving the complaint, the concerned Additional District Programme Coordinator and the Programme Officer shall direct the concerned official to make an entry about the name and address of the petitioner, nature and date of the petition, in the complaint register.

(5) The person/employee registering the grievance shall give a written receipt with number and date so that he/she can follow up the status of disposal of his/her grievance from a counter in the office of the Programme Officer and Additional District Programme Coordinator.

5. **Procedure for disposal of complaints.-** (1) All complaints received shall be disposed of within a period of fifteen days of their receipt.

(2) The office of the Additional District Programme Coordinator and Programme Officer concerned shall inform the petitioner about the action taken in writing. Once a grievance has been disposed of, the date and nature of disposal should be communicated to the petitioner.

(3) If the complainant is not satisfied with the action taken, he/she may prefer an appeal to the concerned Appellate Authority under sub-rule (2) of Rule 3 within fifteen days of receiving the order communicated under sub-rule (2) above.

(4) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of fifteen days and also inform the complainant of the action taken in writing.

(5) The Commissioner, Employment Guarantee Scheme or any State Level Officer authorized by him/her shall be the State level Appellate Authority to monitor the disposal of complaints in the State.

6. **Procedure for monitoring of complaints.-** (1) The State Level Officer shall give wide publicity to the procedure for grievance redressal at all level.

(2) The District Programme Coordinator shall hold quarterly meeting regarding the situation of disclosure of complaints and also publish it in local news papers.

(3) In every month the monitoring of disposal of the complaints shall be done at the next higher level for identifying the areas which require additional attention.

(4) Monthly reports on complaints received and disposed of shall be sent from Programme Officer to Additional District Programme Coordinator and from Additional District Programme Coordinator to District Programme Coordinator and from District Programme Coordinator to State Government and from State Government to Government of India and will also be entered on line in predesigned formats in the webpage of the Ministry of Rural Development, Government of India.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 1-37/2011/स्था./चौबीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलाएंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.– इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:–

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति हेतु चयन समिति;

   (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (ड.) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्र0 एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनॉक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा;

   (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात :–

(क) मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन के द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि इस निमित्त शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मूल रूप से धारण करते हों,

(2) उप–नियम (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग की सहमति से, उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिन्हें वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7\. सेवा में नियुक्ति.– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियॉं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8\. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें – सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(1) आयु:– (क) उसने विज्ञापन जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची–तीन के कालम (5) में यथा निर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी पद को अस्थायी रूप से धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ये रियायत कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो", उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण–शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशंस) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दोबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती की शर्तं पूर्ण हो जाने पर, सेवोमुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिए गए हों (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पाँच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता उन्मूलन नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु सीमा में 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें खण्ड (8) (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन में प्रवेश दिया गया है, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिये अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्तानुसार वर्गों में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव – अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन के कॉलम (7) में दर्शायी गई सेवा के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिये।

(3) फीस– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं.– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.– (एक) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(दो) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात्, यदि अभ्यर्थी के द्वारा दी गई जानकारी के असत्य पाए जाने या उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने का तथ्य आयोग के संज्ञान में आता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा तथा आयोग के द्वारा उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

11. चयन द्वारा सीधी भर्ती.– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जाएगा, जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(2) आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रमों, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जाएगी, जैसे कि शासन द्वारा, समय–समय पर आयोग के परामर्श से, जारी किये जाएं।

(3) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस नियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) इस प्रकार रिक्तयों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपर्युक्त के अतिरिक्त उन अभ्यर्थियों की, जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं, तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित हैं, नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तो को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की, गुणागुण के क्रम से एक सूची, जो ऐसे स्तर से, अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं आरक्षण के परिणामस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित अभ्यर्थियों की गुणागुण के क्रम में एक सूची जो महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हों, के प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति हेतु शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार बनाई गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्गों से एक चयन सूची बनाई जाएगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा अधिकतम रिक्त पदों के 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता ऐसी चयन सूची के जारी किए जाने की तारीख से 18 माह के लिए होगी।

स्पष्टीकरणः– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25 प्रतिशत आंकलन के दौरान, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइन्ट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जाएगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अंतर्गत तैयार गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तयों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, की वैधता अवधि में, सेवा में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से अनुपयुक्त पाये जाने या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिए शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार आयोग, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा उसे शासन को भेजेगा।

(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन से वैध कारण बताते हुए "चयन सूची" की वैधता अवधि में अधिकतम 6 माह की वृद्धि कर सकेगा।

(10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जाएगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन ने युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा न की हो।

13. परिवीक्षा.– (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में अधिकतम 1 वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेंगी।

(2) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परीवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है, कि कोई विशेष अभ्यर्थी अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी:

परंतु, इस उप नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से की जायेगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(3) सभी पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) के अनुसार शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा, कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम तथा नियमों

के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कर लिया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा (6) की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को उस पद पर या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची– चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति–संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति बैठक हेतु आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी की अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस वर्ष से की जायेगी, जिसमें शासकीय सेवक तत्संबंधी फीडर संवर्ग/सेवा के पद/पद में आया है और वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति, वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर या अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु आधार नहीं होगा। केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाली पद संख्या होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति, योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ विचारणीय आवेदन की संख्या, रिक्त पदों की संख्या के दो से चार गुने अधिक होगी। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो कुल रिक्त पदों के सात गुने तक आवेदनों की विचारणीय संख्या को बढ़ाया जा सकेगा तथा इस प्रकार आरक्षित पदों की पूर्ति विचारणीय क्षेत्र से की जा सकेगी। समिति, प्रत्येक प्रवर्ग में विचारणीय क्षेत्र में सभी विद्यमान रिक्त पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक उनके नाम, जो भी अधिक हो, के नाम सम्मिलित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा।

(4) पदोन्नति, शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य उपबंध तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेश पदोन्नति के लिए लागू होंगे।

16. उपयुक्त अधिकारियों की सूची का तैयार किया जाना.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिए

पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कालावधि के क्रम के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिए, एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रकिया में, संवर्ग के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. आयोग से परामर्श.– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, आयोग को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित की जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख,

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे समस्त व्यक्तियों के अभिलेख, जो सूची में यथा अनुशंसित अधिक्रमण के लिए प्रस्तावित हों।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए समिति का अभिलिखित कारण;

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार ।

(2) यदि आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य पदोन्नति समिति में उपस्थित हो तथा यदि बैठक के कार्रवाई विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा का अनुपालन कर लिया गया है तथा आयोग से पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. चयन सूची.– (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर भी विचार करेगा और यदि, इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, तो सूची अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार इस पर विचार करते हुए आयोग आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा युक्तियुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, सामान्यतः तब तक प्रचलित रहेगी, जब तक कि नियम 16 के उप–नियम (3) के अनुसार उसको पर्यवेक्षित तथा पुनरीक्षित न किया जाये; तथापि, सूची की वैधता, सूची के अंतिम होने की तारीख से 18 माह के लिये होगी, इसके पश्चात् इसमें आगे वृद्धि को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निवर्हन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन तथा आयोग के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु, उसी कम का अनुपालन किया जायेगा, जिसमें कि ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. परिवीक्षा.– सेवा में पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

21. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शिथिलीकरण.– इन नियमों में की, किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

23. निरसन तथा व्यावृत्ति.– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

अनुसूची एक

(नियम 5 देखिये)

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा
वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या			वेतनमान	ग्रेड–पे
		संचालनालय के अंतर्गत स्वीकृत	प्रतिनियुक्ति हेतु	कुल पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अपर संचालक जनसंपर्क	03	0	03	रू 37400–67000/–	रू 8700/–
2.	संयुक्त संचालक जनसंपर्क	10	02	12	रू.15600–39100/–	रू. 7600/–
3.	उप संचालक जनसंपर्क	13	0	13	रू.15600–39100/–	रू. 6600/–
4.	सहायक संचालक जनसंपर्क	49	0	49	रू.15600–39100/–	रू. 5400/–

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवाओं के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों के पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं के सदस्यों के स्थानान्तरण के द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनसंपर्क	छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा					
1.	अपर संचालक जनसंपर्क	3	प्रथम श्रेणी	—	100%	—
2.	संयुक्त संचालक जनसंपर्क	12	प्रथम श्रेणी	—	100	—
3.	उप संचालक जनसंपर्क	13	प्रथम श्रेणी	—	100	—
4.	सहायक संचालक जनसंपर्क	49	द्वितीय श्रेणी	50%	50%	—

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	आयु सीमा		निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं
				न्यूनतम	अधिकतम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनसंपर्क	छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा	सहायक संचालक जनसंपर्क (द्वितीय श्रेणी)	20	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उपाधि।
जनसंपर्क	छत्तीसगढ़ जनसंपर्क (राजपत्रित) सेवा	सहायक संचालक जनसंपर्क (अंग्रेजी माध्यम) (द्वितीय श्रेणी)	05	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय सहित स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पत्रकारिता में उपाधि।

टीप:— आयु सीमा राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार यथा विर्निदिष्ट अन्य विभिन्न वर्गों के लिए भी शिथिलनीय होगी।

अनुसूची चार

(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम नियम 14 (1) देखिये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनसंपर्क				
1.	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत – अध्यक्ष 2. विभाग के भारसाधक अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव – सदस्य 3. विभागाध्यक्ष (आयुक्त / संचालक जनसंपर्क) – सदस्य
2.	उप संचालक	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	तदैव
3.	सहायक संचालक	उप संचालक	5 वर्ष	तदैव
4.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	सहायक संचालक	5 वर्ष	तदैव

Raipur, the 9th April 2012

No. F 1-37/2011/Stb./Twenty four.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules, relating to the recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2012.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;

(b) "Committee" means a selection committee meant for departmental promotion as specified in Schedule-IV;

(c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(d) "Examination" means the competitive examination for recruitment held under rule 11 of these rules;

(e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(k) "Services" means the Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Service;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**– Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**– The service shall consist of the following persons, namely:-
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I ;
   (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules ; and
   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.**– The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**– (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
   (a) By direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview ;
   (b) By promotion of members of the service ;
   (c) By transfer/ deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf, by the Government.

   (2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

   (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

   (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may,

with the concurrence of Commission, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in sub-rule (1), as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of Chhatisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of Government shall apply.

7. **Appointment in service.–** All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) **Age-** (a) He must have attained the age as indicated in column (5) of Schedule-III and not attained the age as indicated in column (6) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of advertising.

(b) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) For women candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the work charged employees and employees working in the Project Implementation Committees;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the

resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term Ëretrenched Government servantŠ denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term 'Ex-servicemen' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;
(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
  (a) Completion of short term engagement;
  (b) Fulfilling the conditions of recruitment.
(iii) Officer (Military and Civil) discharged on completion of his contract (including short service Regular Commissioned Officers);
(iv) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(v) Ex-servicemen invalidated out of service;
(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldier;
(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable upto 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officer of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note – (1) The Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in clauses (8)(d)(i) and (ii) shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case. these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above categories for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(2) **Educational Qualifications and Experience**– The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in column (7) of Schedule-III.

(3) **Fees**- The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualifications.**– Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final.**– (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for Selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to the examination/ interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct recruitment by Selection.**– (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under this rule by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for handicapped/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instruction issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-

creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above tne candidates who may women/handicapped/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience to the candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of Candidates recommended by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who though not qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women/physically handicapped/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2)List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the names of candidates from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provision, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), will not be extended by the commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation.- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years. If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of one year.

(2) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, under this sub-rule, for constitution of the committee, provisions of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhadé Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instruction issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) **Certification by the Appointing Authority.-** Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on 1st Day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made, as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for Promotion: The calculation of the period of qualifying services on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay scale of the respective feeder cadre/post of service/post, and not from the date he has attained the pay scale.

(2) (one) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no

grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered that are existing in each category and number of posts going to be vacated due to retirement during one year.

(two) In such cases where promotion is to be given on merit cum Seniority basis, the number of considerable application shall be two to four times more than the number of vacant post. If sufficient number of Public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion, then the considerable number of applications can be increased to seven times of the total vacant posts and thus the reserved posts can be filled from the considerable zone. The committee shall take into consideration all the existing vacant post and the post to be vacant during one year due to retirement in the consideration zone in each category.

(3) The name of public servants in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name up to 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant whichever is more, to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable officers.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this, a reserve list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of above said period.

(2) The List of suitable officers shall be prepared as per the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review and revision, it is proposed to supersede any member of the cadre, then committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) the record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it will approve the list.

(2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission will inform the Government with its opinion if any, but once it is considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) Generally the select list will prevail until it is scrutinized and revised as per sub-rule (3) of Rule 16, however the validity of the list will be for 18 months from the date on which the list is finalized, after which no further extension will be allowed:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the

service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.
(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Probation.-** Every person promoted in the service shall be appointed on probation for a period of two years.

21. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/order issued by the State Government from time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
M. M. TYAGI, Special Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Service

Classification, Scale of pay and number of post included in the Service

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts			Scale of pay	+Grade Pay
		Sanctioned under Directorate	For Deputation	Total post		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Additional Director Public Relations	03	0	03	Rs.37400-67000/-	Rs. 8700/-
2.	Joint Director Public Relations	10	02	12	Rs.15600-39100/-	Rs.7600/-
3.	Deputy Director Public Relations	13	0	13	Rs.15600-39100/-	Rs.6600/-
4.	Assistant Director Public Relations	49	0	49	Rs.15600-39100/-	Rs.5400/-

SCHEDULE-II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

Name of the Department	Name of the services	Total number of duty post	Classi-fication	Percentage of post to be filled in		
				By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the member of the service [See Rule 6(1)(b)]	By transfer of the member of the other services [See Rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Relations	Chhattisgarh Public Relations (Gazatted)Service					
01	Additional Director Public Relations	3	Class-I	-	100%	-
02	Joint Director Public Relations	12	Class-I	-	100%	-
03	Deputy Director Public Relations	13	Class-I	-	100%	
04	Assistant Director	49	Class-II	50%	50%	-

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Educational qualification for appointment by Direct Recruitment

Name of the Department	Name of the Service	Name of Post	Number of Posts	Age limit		Prescribed Minimum Education Qualification
				Minimum	Maximum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Relations	Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Services	Assistant Director Public Relations (Class-II)	20	21 years	30 years	Graduate degree from any recognised university and Degree in Journalism from any recognised University.
Public Relations	Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Services	Assistant Director Public Relations (English Medium) (Class-II)	05	21 years	30 years	Graduate degree Examination from any recognised university with English as a subject and Degree in Journalism in English medium from any recognised University.

Note- The age limit shall also be relaxable for various other categories as specified in the instructions issued by the General Administration Department of the State Government from time to time.

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

Essential qualification for Promotion and Constitution of Departmental Promotion Committee

Name of the Department	**Name of Service or post from which promotion is to be made**	**Name of service or posts to which promotion is to be made**	**Minimum period to qualify for promotion to the next higher post**	**Name of member or the Departmental Promotion Committee vide rule 14(1)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Relations				
1.	Joint Director	Additional. Director	5 years	1. The Chairman of the P.S.C. or his nominee. **- Chairman** 2. Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary Incharge of the Department **- Member** 3. Head of Department (Commissioner/ Director Public Relations) **-Member**
2.	Deputy Director	Joint Director	5 years	-do-
3.	Assistant Director	Deputy Director	5 years	-do-
4.	Assistant Public Relations Officer	Assistant. Director	5 Years	-do-

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2012

क्रमांक एफ 9-22/2012/जन.नियो./42.—राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्लपमेंट मिशन (CSSDM) का गठन किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट डेव्लपमेंट मिशन (CSSDM) को प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षणों के लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी (Certification Authority) के रूप में अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 02/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	भरदैयाडीह	0.117	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिलदहा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कलमीटार	6.097	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिलदहा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 04/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सिलदहा	7.377	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिलदहा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 5/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सिलदहा	3.992	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिलदहा व्यपवर्तन योजना डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कसडोल प. ह. नं. 38	52.790	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	खम्हार प. ह. नं. 05	0.239	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	झरन जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	पोटेबिरनी प. ह. नं. 14	1.538	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	पोटेबिरनी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर/शाखा में प्रभावित भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प. ह. नं. 19	11.484	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प. ह. नं. 28	0.332	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जतरी प. ह. नं. 28	0.393	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	खोखरा प. ह. नं. 26	1.403	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अस्थाई मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूण्डा प. ह. नं. 118	92/38	0.011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार)
			65/20	0.006		
			24/13	0.014		
			165/71	0.045		
			103/31	0.023		
			118/13	0.007		
			117/14	0.014		
			142/8	0.017		
			168/34	0.041		
			92/35	0.022		
			66/145	0.046		
			66/165	0.014		
			66/166	0.014		
		योग	**13**	**0.274**		

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (व. मी. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	देवपुरी प. ह. नं. 114/45	369/2	1460	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार)
			466	5340		
			458/2	1380		
			458/3	1420		
			465/6	1620		
			465/7	2260		
		योग	6	13480		

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (व. मी. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूण्डा प. ह. नं. 118	66/76, 66/77	190	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)	नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार)
			66/89	280		
			66/103	130		
			66/140	460		
			70	1980		
		योग	6	3040		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/3554/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिसाहूटोला, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	277/4	0.044
योग	1	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/3555/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कल्लूटोला, प. ह. नं. 40/2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.238 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	186/4	0.036
	187/2	0.202
योग	2	0.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/3556/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जोशीलमती, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/4, 32/4	0.324
योग 1	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/3557/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-छुरिया
   (ग) नगर/ग्राम-आंतरगांव, प. ह. नं. 59.
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/3	0.072
योग 1	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/3558/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-छुरिया
   (ग) नगर/ग्राम-चोरहाबंजारी, प. ह. नं. 57
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.851 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220/8	0.016
220/2	0.113
220/6	0.032
220/5	0.032
220/3	0.049
220/10	0.041
221/3	0.101
221/4	0.020
231	0.161
230/3	0.153
229/2	0.133
योग 11	0.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-छिन्दभौना, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.348 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/2ख	0.305
	16/2	0.242
	85/2	0.391
	114	2.410
योग	4	3.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.207 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	31/1	0.114
	64/2	0.093
योग	2	0.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बरबहली, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.[illegible]9 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा ([illegible]क्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.310

	(1)	(2)
	32/8	0.133
	51	2.246
	53	0.190
योग	4	2.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-रांटरोट, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.204 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17	0.114
	19	0.090
योग	2	0.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-सलिहारी, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5	0.144
योग	1	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-खण्डसरा, प.ह.नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70	0.52
69	1.01
योग 2	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना अन्तर्गत स्पिल चैनल (च्यूटफाल) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पताढ़ी (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/प.ह.नं. 17	27	0.02
			43/1क/2	0.04
			43/1ख, 43/1ग, 43/1ण, 43/1न	0.01
			43/1द	0.01
			43/1ढ़	0.01
			43/1क्ष	0.01
			128/3	0.02
			कुल पताढ़ी (शासकीय भूमि)	**0.12**
पताढ़ी (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/प.ह.नं. 17	3/5, 134, 135	0.03
			26/1	0.03
			28	0.02
			32	0.02
			33/1	0.02
			34/1	0.02
			39/1, 38/1, 41/2	0.04
			40	0.02
			41/1, 42/1	0.05
			116	0.03
			117/1	0.04
			117/2	0.04
			124/1	0.06
			124/2	0.02
			125	0.04
			124/4	0.02
			131, 132	0.04
			133, 136, 141, 142/2, 143	0.06
			144/1, 145/1, 146	0.06
			144/2, 145/2	0.02
			कुल पताढ़ी (निजी भूमि)	**0.68**
			कुल पताढ़ी (शासकीय भूमि)	0.12
			कुल पताढ़ी (निजी भूमि)	0.68
			कुल पताढ़ी की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.80**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the popelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb. 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District (1)	Tehsil (2)	Village/P.C.N. (3)	Khasra No. (4)	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres) (5)
Patadi (Government Land)				
Korba	Korba	Patadi/P.C.N. 17	27	0.02
			43/1क/2	0.04
			43/1ख, 43/1ग, 43/1ण, 43/1न	0.01
			43/1द	0.01
			43/1ढ़	0.01
			43/1क्ष	0.01
			128/3	0.02
			Sub Total Patadi (Government Land)	**0.12**
Patadi (Private Land)				
Korba	Korba	Patadi/P.C.N. 17	3/5, 134, 135	0.03
			26/1	0.03
			28	0.02
			32	0.02
			33/1	0.02
			34/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			39/1, 38/1, 41/2	0.04
			40	0.02
			41/1, 42/1	0.05
			116	0.03
			117/1	0.04
			117/2	0.04
			124/1	0.06
			124/2	0.02
			125	0.04
			124/4	0.02
			131, 132	0.04
			133, 136, 141, 142/2, 143	0.06
			144/1, 145/1, 146	0.06
			144/2, 145/2	0.02
			Patadi-Sub Total (Private Land)	**0.68**
			Patadi - Sub Total Government Land	0.12
			Patadi - Sub Total Private Land	0.68
			Patadi-Total of Proposed Land to be Used	**0.80**

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खोड्डल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	खोड्डल/प.ह.नं. 17	200/3, 201	0.10
			208/1	0.05
			202	0.02
			203/4	0.02
			203/5	0.02
			203/7	0.02
			203/8	0.02
			203/13	0.02
			कुल खोड्डल (निजी भूमि)	**0.27**
			कुल खोड्डल की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.27**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb. 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/P.C.N.	Khasra No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Khoddle (Private Land)				
Korba	Korba	Khoddle/P.C.N. 17	200/3, 201	0.10
			208/1	0.05
			202	0.02
			203/4	0.02
			203/5	0.02
			203/7	0.02
			203/8	0.02
			203/13	0.02
		Khoddle-Sub Total (Private Land)		**0.27**
		Khoddle-Total of Proposed Land to be Used		**0.27**

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुदुरमाल (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/प.ह.नं. 16	173/1	0.01
			273/1	0.01
			301/1क	0.20
			कुल कुदुरमाल (शासकीय भूमि)	**0.22**
कुदुरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/प.ह.नं. 16	179/1, 283	0.06
			179/2	0.04
			180	0.04
			181/1	0.04
			182/2	0.02
			249/2, 250/2	0.03
			250/1	0.09
			250/4	0.08
			250/5	0.07
			282/1	0.08
			302, 305	0.05
			239/1	0.03
			239/2	0.05
			249/1	0.06
			251/1	0.06
			251/9	0.08
			251/3	0.05
			251/4	0.04
			251/6	0.04
			251/8	0.02
			257/1	0.04
			257/2	0.04
			257/3	0.02
			257/4	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			257/5	0.04
			258/2	0.03
			258/3, 258/4	0.10
			262	0.06
			263/4	0.03
			264/1	0.02
			272/2	0.02
			273/2, 276	0.10
			278, 279, 282/3	0.10
			462/1	0.02
			462/2	0.03
			462/10	0.03
			कुल कुदुरमाल (निजी भूमि)	**1.75**
			कुल कुदुरमाल (शासकीय भूमि)	0.22
			कुल कुदुरमाल (निजी भूमि)	1.75
			कुल कुदुरमाल की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**1.97**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the popelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/P.C.N.	Khasra No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kudurmal (Government Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/	173/1	0.01
		P.C.N. 16	273/1	0.01
			301/1क	0.20
		Sub Total Kudurmal (Government Land)		**0.22**
Kudurmal (Private Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/	179/1, 283	0.06
		P.C.N. 16	179/2	0.04
			180	0.04
			181/1	0.04
			182/2	0.02
			249/2, 250/2	0.03
			250/1	0.09
			250/4	0.08
			250/5	0.07
			282/1	0.08
			302, 305	0.05
			239/1	0.03
			239/2	0.05
			249/1	0.06
			251/1	0.06
			251/9	0.08
			251/3	0.05
			251/4	0.04
			251/6	0.04
			251/8	0.02
			257/1	0.04
			257/2	0.04
			257/3	0.02
			257/4	0.04
			257/5	0.04
			258/2	0.03
			258/3, 258/4	0.10
			262	0.06
			263/4	0.03
			264/1	0.02
			272/2	0.02
			273/2, 276	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			278, 279, 282/3	0.10
			462/1	0.02
			462/2	0.03
			462/10	0.03
			Kudurmal-Sub Total (Private Land)	**1.75**
			Kudurmal-Sub Total (Government Land)	0.22
			Kudurmal-Sub Total (Private Land)	1.75
			Kudurmal-Total of Proposed Land to be Used	**1.97**

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उरगा (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा/प.ह.नं. 17	1267	0.02
			कुल उरगा (शासकीय भूमि)	**0.02**
उरगा (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा/प.ह.नं. 17	1149/1	0.03
			1149/2	0.04
			1150	0.02
			1151	0.04
			1153/1	0.05
			1153/2	0.03
			1153/3	0.02
			1153/6	0.06
			1154/1	0.03
			1162/1ङ	0.04
			1162/1श	0.02
			1164, 1165/1, 1166	0.04
			1165/3	0.04
			1165/4	0.03
			1172	0.03
			1174	0.03
			1176	0.02
			1179	0.02
			1185	0.03
			1173/1, 1175/1, 1177/1	0.03
			1173/3, 1175/3, 1177/3	0.03
			1173/4, 1175/4, 1177/4	0.03
			1186	0.02
			कुल उरगा (निजी भूमि)	**0.73**
			कुल उरगा (शासकीय भूमि)	0.02
			कुल उरगा (निजी भूमि)	0.73
			कुल उरगा की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.75**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the popelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb. 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/P.C.N.	Khasra No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urga (Government Land)				
Korba	Korba	Urga/P.C.N. 17	1267	0.02
			Sub Total Urga (Government Land)	**0.02**
Urga (Private Land)				
Korba	Korba	Urga/P.C.N. 17	1149/1	0.03
			1149/2	0.04
			1150	0.02
			1151	0.04
			1153/1	0.05
			1153/2	0.03
			1153/3	0.02
			1153/6	0.06
			1154/1	0.03
			1162/1ङ	0.04
			1162/1श	0.02
			1164, 1165/1, 1166	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1165/3	0.04
			1165/4	0.03
			1172	0.03
			1174	0.03
			1176	0.02
			1179	0.02
			1185	0.03
			1173/1, 1175/1, 1177/1	0.03
			1173/3, 1175/3, 1177/3	0.03
			1173/4, 1175/4, 1177/4	0.03
			1186	0.02
			Urga-Sub Total (Private Land)	**0.73**
			Urga-Sub Total (Government Land)	0.02
			Urga-Sub Total (Private Land)	0.73
			Urga-Total of Proposed Land to be Used	**0.75**

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सेमीपाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	सेमीपाली/प.ह.नं. 17	475/3	0.03
			476/1	0.02
			476/2	0.02
			476/4	0.02
			497	0.02
			498	0.02
			499	0.04
			500	0.02
			502/1	0.02
			502/2	0.02
			503	0.01
			504	0.03
			505/1	0.02
			505/2	0.03
			कुल सेमीपाली (निजी भूमि)	**0.32**
			कुल सेमीपाली की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.32**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the popelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb. 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/P.C.N.	Khasra No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Semipali (Private Land)				
Korba	Korba	Semipali/P.C.N. 17	475/3	0.03
			476/1	0.02
			476/2	0.02
			476/4	0.02
			497	0.02
			498	0.02
			499	0.04
			500	0.02
			502/1	0.02
			502/2	0.02
			503	0.01
			504	0.03
			505/1	0.02
			505/2	0.03
			Semipali-Sub Total (Private Land)	**0.32**
			Semipali-Total of Proposed Land to be Used	**0.32**

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए उनके आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
देवरमाल (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/प.ह.नं. 16	796/1	0.01
			796/2	0.01
			कुल देवरमाल (शासकीय भूमि)	**0.02**
देवरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/प.ह.नं. 16	783	0.03
			786/1	0.03
			791/1	0.03
			822/1	0.02
			786/2	0.02
			786/4	0.02
			786/3	0.02
			786/5	0.02
			821/2	0.02
			822/6	0.02
			787/1	0.04
			787/2	0.03
			787/3	0.03
			788/1, 788/2	0.03
			789/4	0.03
			789/6	0.04
			789/5	0.05
			791/2	0.04
			792/2	0.02
			795/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			801/2	0.05
			814/1, 820/1	0.05
			815/1	0.03
			815/2	0.04
			832/2	0.03
			819/2	0.02
			822/2	0.02
			825	0.02
			826/1	0.02
			826/2	0.02
			832/1	0.03
			828/1	0.03
			831	0.03
			828/2	0.03
			829/1	0.02
			830	0.02
			कुल देवरमाल (निजी भूमि)	1.02
			कुल देवरमाल (शासकीय भूमि)	0.02
			कुल देवरमाल (निजी भूमि)	1.02
			कुल देवरमाल की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**1.04**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the popelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb. 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act. the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act. the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/P.C.N.	Khasra No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dewarmal (Government Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/	796/1	0.01
		P.C.N. 16	796/2	0.01
			Sub Total Dewarmal (Government Land)	**0.02**
Dewarmal (Private Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/	783	0.03
		P.C.N. 16	786/1	0.03
			791/1	0.03
			822/1	0.02
			786/2	0.02
			786/4	0.02
			786/3	0.02
			786/5	0.02
			821/2	0.02
			822/6	0.02
			787/1	0.04
			787/2	0.03
			787/3	0.03
			788/1, 788/2	0.03
			789/4	0.03
			789/6	0.04
			789/5	0.05
			791/2	0.04
			792/2	0.02
			795/1	0.02
			801/2	0.05
			814/1, 820/1	0.05
			815/1	0.03
			815/2	0.04
			832/2	0.03
			819/2	0.02
			822/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			825	0.02
			826/1	0.02
			826/2	0.02
			832/1	0.03
			828/1	0.03
			831	0.03
			828/2	0.03
			829/1	0.02
			830	0.02
			Dewarmal-Sub Total (Private Land)	**1.02**
			Dewarmal-Sub Total (Government Land)	0.02
			Dewarmal-Sub Total (Private Land)	1.02
			Dewarmal-Total of Proposed Land to be Used	**1.04**

कोरबा, दिनांक 4 मई 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 6, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 359-377 दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम कुदुरमाल से भूमिगत पाइपलाईन से जल परिवहन द्वारा ग्राम पताढ़ी तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अखरापाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	अखरापाली/प.ह.नं. 16	545/1, 553/1	0.08
			545/2, 553/2	0.07
			551/1	0.01
			546/1	0.02
			546/2	-0.02
			549	0.05
			550/3	0.03
			550/4	0.03
			550/5	0.02
			551/2	0.02
			कुल अखरापाली (निजी भूमि)	**0.35**
			कुल अखरापाली की उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.35**

Korba, the 4th May 2012

FORM-D
(See Rule 6)

Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 2004

No. 315.—Whereas by notification of the competent authority number 6, Part-1, Pages 359-377 dated 10 Feb. 2012, issued under Sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intension to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the popelines for transportation of Water from Hasdev River at village-Kudurmal. Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Limited.

And that notification published in the official Gazetted on 10 Feb. 2012 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the state Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/P.C.N.	Khasra No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akhrapali (Private Land)				
Korba	Korba	Akhrapali/ P.C.N. 16	545/1, 553/1	0.08
			545/2, 553/2	0.07
			551/1	0.01
			546/1	0.02
			546/2	0.02
			549	0.05
			550/3	0.03
			550/4	0.03
			550/5	0.02
			551/2	0.02
			Akhrapali-Sub Total (Private Land)	**0.35**
			Akhrapali-Total of Proposed Land to be Used	**0.35**

अभय कुमार मिश्रा,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर
क्वार्टर नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्रमांक/सी.जी./फार्मा/निर्वा./2012/02.—फार्मेसी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (क) के अन्तर्गत मैं डॉ. आर. आर. साहनी, निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउन्सिल द्वारा प्रदत्त पंजीकृत फार्मासिस्टों की सूची में से 6 (छ:) सदस्यों के निर्वाचन किये जाने की अधिसूचना जारी करता हूं एवं निम्नलिखित दिनांक नियत करता हूं :—

1.	नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि	—	14 मई 2012
2.	नाम निर्देशन की संवीक्षा	—	17 मई 2012
3.	आपत्ति की सुनवाई	—	21 मई 2012, समय 11 से 2 बजे
4.	नाम निर्देशन की वापसी की अन्तिम तिथि	—	23 मई 2012

5.	मतदान की स्थिति बनने पर मतपत्र लिफाफा कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि (समय सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक)	—	18 जून 2012
6.	मतगणना	—	20 जून 2012

नोट :—

1. उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ रुपये 50/- (पचास रुपये मात्र) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा.

2. मतदाता सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर कार्यालय (क्वार्टर नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर) तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु भेजे गये.

आर. आर. साहनी,
रिटर्निंग आफिसर.